शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 02.04.2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–41/2026–1183/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–1442/2026 धनंजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–31.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"...***Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, this writ application stands disposed of granting liberty to the petitioner to file representation before the Director, Primary Education, Department, Govt. of Bihar, Patna (respondent No.3) within one month from the date of passing of this order and if such representation is filed by the petitioner, the same shall be disposed of by the Director, Primary Education, Department, Govt. of Bihar, Patna (respondent No.3) within a maximum period of six months from the date of filing of the representation after giving an opportunity of hearing to the petitioner.***

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Director, Primary Education, Department, Govt. of Bihar, Patna (respondent No.3) should be reasoned and speaking order. It is further made clear that in case the petitioner is found entitled to the relief which the petitioner would be claiming in the representation, the same should be extended to the petitioner within a further period of two weeks from the date of passing of the final order by the Director, Primary Education, Department, Govt. of Bihar, Patna (respondent No.3)....."

3. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–1051 दिनांक–16.03.2026 द्वारा दिनांक–18.03.2026 को सुनवाई निर्धारित करते हुए वादीगण के पक्ष को सुना गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2012 अंतर्गत वर्ग–1–5 हेतु बी.एड. योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप हुआ है। साथ ही उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम भी पूर्ण किया गया है। वादी का दावा है कि उनका मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 से आच्छादित है तथा उक्त के समरूप एक अन्य वाद सी०डब्लू०जे०सी० सं०–9416/2019 में दिनांक–04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 निर्गत किया गया है। अतः वादी द्वारा उपरोक्त के आलोक में ही नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का दावा किया गया है।

5. आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई की वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के अंतर्गत किया गया जबकि एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संसोधित) के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा

1

निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक–27.09.2016 से स्पष्ट है। इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007–2009 तथा 2008–2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक–01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

6. माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश दिनांक–27.09.2016 में यह बात अंकित की गई कि संबंधित वादीगणें को अग्रतर विलंब करते हुए वर्ष 2014 में छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में और भी विलंब हुआ जिसमें संबंधित वादीगणों का कोई दोष नहीं था। अंततः इन वादीगणों को वर्ष 2014 में प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष तौर पर अंकित की गई कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

7. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक–28.06.2018 द्वारा संसोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त्त निर्धारित किया गया था।

8. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन–पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का

संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

9. वादी के मामले में विश्लेषन से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागु होता है न कि अन्य मामलों में।

10. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०–9416/2019 में दिनांक–04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1017 दिनांक–12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–41/2026.....1183.....पटना, दिनांक.....02/04/26.

प्रतिलिपिः– Dhananjay Kumar Son of Yogendra Prasad Resident of Village- Chakrahima, Post- Jaitiya, P.S.- Gaurichak, District- Patna, Bihar.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–41/2026.....1183.....पटना, दिनांक.....02/04/26.

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–41/2026.....1183.....पटना, दिनांक.....02/04/26.

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।